



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2006
भाद्रपद 17, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1044/ सात-वि-1-01 (क)-22-2006
लखनऊ, 8 सितम्बर, 2006

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन
और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन और फीस के नियतन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) यह 10 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

लागू होना

2-यह अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं, पर लागू होगा।

परिभाषाएं

3-जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "सहायता प्राप्त संस्था" का तात्पर्य अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी ऐसी निजी शैक्षणिक व्यावसायिक संस्था से है जो राज्य सरकार से या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता वितरित करने वाली किसी निकाय से आवर्ती सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता अंशतः या पूर्णतः प्राप्त कर रही हो;

(ख) "समिति" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित प्रवेश और फीस नियामक समिति से है;

(ग) "सामान्य प्रवेश परीक्षा" का तात्पर्य किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था द्वारा चलाये जा रहे किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा से है;

(घ) "फीस" का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है से है;

(ङ) "सामान्य श्रेणी" का तात्पर्य और अर्थ किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था के स्वीकृत अन्तर्ग्रहण में से रखी गयी ऐसी सीटों से है जो प्रबन्धतंत्र श्रेणी में न हो;

(च) "प्रबन्धतंत्र श्रेणी" का तात्पर्य और अर्थ स्वीकृत अन्तर्ग्रहण में से रखी गयी ऐसी सीटों से होगा जो राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं के प्रबन्धतंत्र को आवंटित की गयी हों ;

(छ) "अल्पसंख्यक" का तात्पर्य नेशनल कमीशन फार माइनोंरिटी एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स ऐक्ट, 2004 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2005) की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन परिभाषित किसी अल्पसंख्यक से है;

(ज) "अल्पसंख्यक संस्था" का तात्पर्य किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित और राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किसी संस्था से है;

(झ) "निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था से है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित न हो;

(ञ) "व्यावसायिक पाठ्यक्रम" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित किसी पाठ्यक्रम से है;

(ट) "व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहे किसी ऐसे कालेज या स्कूल या ऐसी संस्था चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय से है जो,—

(एक) किसी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जिसके अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन परिभाषित किसी समविश्वविद्यालय की घटक इकाई भी है;

(दो) राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे सक्षम सांविधिक निकाय जो व्यावसायिक शिक्षा विनियमित कर रही हो द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो।

(उ) "स्वीकृत अन्तर्ग्रहण" का तात्पर्य और अर्थ किसी व्यावसायिक संस्था में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सीटों की कुल संख्या से है;

(ड) "ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी" का तात्पर्य भारतीय प्रशासनिक सेवा या उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक सिविल सेवा के किसी अधिकारी से है;

(ढ) "राज्य विश्वविद्यालय" का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से है;

(ण) "गैर सहायता प्राप्त संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था से है जो सहायता प्राप्त संस्था न हो;

(त) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

अध्याय-2

समिति

4-(1) प्रवेश और फीस नियमन के लिये एक समिति होगी जिसका गठन ऐसी रीति से जो विहित की जाय, किया जायगा। समिति की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी जो राज्य सरकार का ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी राज्य विश्वविद्यालय या किसी समविश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो जिसे समिति का अध्यक्ष कहा जाएगा और उसमें वित्तीय या प्रशासनिक मामलों में अनुभव रखने वाले दो अन्य सदस्य भी होंगे।

संरचना, अनर्हता एवं कृत्य

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगी।

(3) समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल इसकी अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष का होगा, तथा इसके पूर्व किसी कारणवश, किसी रिक्ति के प्रोद्भूत होने पर राज्य सरकार शेष कार्यकाल के लिये ऐसी रिक्ति को भरेगी।

(4) समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण ही समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

(5) किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्था से सम्बद्ध कोई व्यक्ति समिति का सदस्य होने के लिये अर्ह नहीं होगा।

(6) समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य यदि कोई ऐसा कार्य करता है जो राज्य सरकार की राय में समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिये अशोभनीय हो तो उसे उक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा दिया जायेगा :

परन्तु ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर दिये बिना राज्य सरकार द्वारा हटाया नहीं जाएगा।

(7) समिति यथाविहित रीति से स्वयं अपनी प्रक्रिया विरचित कर सकेगी।

(8) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था या किसी समविश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय से किसी विहित दिनांक तक ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी जो प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथा उपबन्धित निर्धारित की जाने वाली फीस को अवधारित करने के लिए समिति को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक हो और इस प्रकार अवधारित फीस ऐसी अवधि तक विधिमान्य रहेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय।

(9) यदि राज्य सरकार या समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ने इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है या वह इस अधिनियम की धारा 10 में यथा अवधारित फीस से अधिक ले रही है, तो वह सक्षम सांविधिक निकाय से ऐसी संस्था की सम्बद्धता या मान्यता वापस लेने की सिफारिश कर सकेगी।

अध्याय-तीन

प्रवेश

5-किसी निजी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था में प्रवेश की पात्रता ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

पात्रता

6-(1) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न किसी गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण में से प्रबन्धतंत्र श्रेणी के अधीन सीटें आरक्षित कर सकती है।

सीटों का आवंटन

- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रबन्धतन्त्र श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं रहेगा।
- प्रवेश की रीति 7—कोई गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था;
- (क) सामान्य श्रेणी के अधीन किसी सीट के लिये प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ऐसी रीति से करेगी जैसी विहित की जाय।
- (ख) प्रबन्धतन्त्र श्रेणी के अधीन आरक्षित किसी सीट पर ऐसी रीति से प्रवेश दे सकेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा, किसी अधिसूचित आदेश के माध्यम से विहित की जाय।
- सामान्य प्रवेश 8—सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के लिये प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ऐसी रीति से किया जाएगा जैसी विहित की जाय।
- प्रवेश 9—(1) किसी सहायता प्राप्त संस्था या गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में प्रत्येक प्रवेश इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जाएगा और उसके उल्लंघन में किया गया प्रत्येक प्रवेश शून्य हो जाएगा।
- (2) राज्य सरकार या समिति का यदि समाधान हो जाता है कि किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या नियमावली या राज्य द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन में प्रवेश लिया है तो वह ऐसी संस्था की सम्बद्धता या मान्यता को वापस लेने के लिये समुचित सांविधिक निकाय को सिफारिश कर सकती है।

अध्याय—चार

फीस का नियतन

- कारक 10—(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी :-
- (एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप;
- (दो) उपलब्ध अवसंरचना;
- (तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिये आवश्यक, समुचित बचत;
- (चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय;
- (पांच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय;
- (छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।
- (2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी : परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

अध्याय—पाँच

प्रकीर्ण

- अपील 11—(1) राज्य सरकार एक अपील प्राधिकरण नियुक्त करेगी जिसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, जिसके समक्ष समिति के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति या कोई व्यावसायिक संस्था ऐसे किसी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील दाखिल कर सकती है।
- अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव 12—इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रवृत्त होने वाले किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात, के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

13-राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

14-(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकता है। विनियम बनाने की शक्ति

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:-

(क) समिति का गठन और उसकी कार्यप्रणाली तथा निबन्धन एवं शर्तें;

(ख) किसी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था द्वारा छात्रों से प्रभारित किये जाने वाले फीस के अवधारण की रीति या मानदण्ड;

(ग) व्यावसायिक संस्था द्वारा छात्रों से प्रभारित की जाने वाले फीस।

15-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, बना सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

16-राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अपील प्राधिकारी या समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सदभावनापूर्वक किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही की संरक्षा

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2006 17-(1) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

संविधान के तिरानबेवें संशोधन द्वारा राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं सहित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध करने की शक्ति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने सुझाव दिया था कि ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन और फीस के नियतन के लिए भी विधायन बनाया जाय। मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में यह विनिश्चय किया गया है कि निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन और फीस के नियतन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषय की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2006 को उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2006) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राज मणि चौहान,
प्रमुख सचिव।

No. 1044/VII-V-1-1(Ka) 22-2006

Dated Lucknow, September 8, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nizi Vyavsayik Shaikshnik Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Aur Fees Ka Niyatan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2006.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL
INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE)

ACT, 2006

(U. P. ACT NO. 24 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the regulation of admission and fixation of fee in private professional educational institutions and the matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 10, 2006.

Applicability

2. This Act shall be applicable to the private aided or unaided professional educational institutions, excluding minority institutions.

Definitions

3. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "aided institution" means a private professional educational institution, other than a minority institution receiving recurring financial grant-in-aid or assistance in whole or in part from the State Government or from any body, under the control of State Government disbursing grants-in-aid or financial assistance;

(b) "Committee" means the Admission and Fee Regulatory Committee constituted under section 4;

(c) "Common Entrance Test" means an Entrance Test, conducted by the State Government or an Agency authorized by it for admission to a Professional Course, run by a professional educational institution.

(d) "Fee" means all fees including tuition fee and development charges;

(e) "general category" means and implies seats from out of the sanctioned intake of a professional educational institution, not being seats in the management category;

(f) "management category" shall mean and imply seats from out of the sanctioned intake allotted by the State Government to the management of the institutions;

(g) "minority" means a minority defined under clause (f) of section 2 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (Act no. 2 of 2005);

(h) "minority institution" means an institution, established and administered by a minority and notified as such by the State Government;

(i) "private professional educational institution" means a professional educational institution not established or maintained by the Central Government, the State Government or any public body;

(j) "professional course" means a course of study notified as a professional course by the State Government;

(k) "professional educational institution" means a College or a School or an Institution by whatever name called, imparting professional education,—

(i) affiliated to a State University, including a Private University established or incorporated by an Act of the State Legislature or constituent unit of a deemed to be University defined under section 3 of University Grant Commission Act, 1956.

(ii) approved or recognized by the Competent Statutory Body established by State Government, regulating professional education.

(l) "sanctioned intake" means and implies the total number of seats sanctioned by an authority notified by the State Government for admitting students in each course of study in a professional institution.

(m) "senior administrative officer" means an Officer of the Indian Administrative Service or Provincial Civil Service of Uttar Pradesh;

(n) "State University" means a University established or incorporated by an Act of the State Legislature;

(o) "unaided institution" means a private professional educational institution, not being an aided institution;

(p) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956.

CHAPTER—II THE COMMITTEE

(1) The Committee shall be constituted in such manner as may be prescribed. The Committee shall be presided over by a person who is or who has been a Senior Administrative Officer of the State or Vice-Chancellor of a Central University or a State University or a deemed to be University; who shall be called the Chairman of the Committee and shall include two other Members having experience in matters of finance or administration.

(2) The State Government shall appoint the Chairman and the Members of the Committee mentioned in sub-section (1).

(3) The term of the Chairman and every Member of the Committee shall be three years from the date of its notification; and, in case of any vacancy arising earlier, for any reason, the State Government shall fill such vacancy for the remainder of the term.

(4) No act or proceedings of the Committee shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or any defect in the constitution of the Committee.

(5) No person who is associated with a private aided or unaided institution shall be eligible for being a Member of the Committee.

(6) The Chairman or any Member of the Committee shall be removed, if he performs any act, which in the opinion of the State Government is unbecoming of Chairman or Member of the Committee:

Provided that, no such Chairman or any Member shall be removed by the State Government, without giving him an opportunity of being heard.

(7) The Committee may frame its own procedure in such manner as may be prescribed.

disqualification
and functions

(8) The Committee may require a private aided or unaided professional educational institution or, a deemed to be University or a private University to furnish, by a prescribed date, information as may be necessary for enabling the Committee to determine the fee as prescribed under section 10 of this Act that may be fixed by the institution in respect of each professional course, and the fee so determined shall be valid for such period as notified by the State Government.

(9) The State Government or the Committee may, if satisfied that a professional educational institution has violated any provisions of this Act or is charging more fee, than as determined under section 10 of this Act then it will recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the affiliation or recognition of such institution.

CHAPTER-III

ADMISSION

Eligibility

5. The eligibility for admission to a private aided or unaided professional educational institution shall be such as may be notified by the State Government.

Allocation of seats

6. (1) The State Government may, by notified order, reserve seats out of sanctioned intake, in an unaided professional educational private institution, other than minority institution, under management category.

(2) Notwithstanding any thing to the contrary contained in any other law for the time being in force, there shall be no reservation for Scheduled Casts, Scheduled Tribes or other backward classes of citizens in the seats reserved for management category.

Manner of admission

7. An unaided professional educational institution;

(a) shall make admission to a seat under the general category, on the basis of the Common Entrance Test, in such manner as may be prescribed by the State Government.

(b) may make admission to a seat reserved under management category, in such manner, as may be prescribed by the State Government, through a notified order.

Common entrance test

8. In aided professional educational institution, admission to sanctioned intake shall be on the basis of the Common Entrance Test in such manner as may be prescribed.

Admission

9. (1) Every admission to an aided or unaided educational institution, shall be made in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder and every admission made in contravention thereof shall be void.

(2) The State Government or the Committee if satisfied that an aided or unaided professional educational institution has taken admission in violation of any provision of this Act or the rules or an order of the State Government issued in this behalf, it may recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the affiliation or recognition of such institution.

CHAPTER-IV

FIXATION OF FEE

Factors

10. (1) The Committee shall determine, the fee to be charged by a private aided or unaided professional educational institution having regard to:—

- (i) the nature of the professional course,
- (ii) the available infrastructure,
- (iii) a reasonable surplus required for growth and development of the professional institution,
- (iv) the expenditure on administration and maintenance,
- (v) the expenditure on teaching and non teaching employees of the institution,
- (vi) any other relevant factor.

(2) The Committee, shall give the institution an opportunity of being heard before fixing any fee :-

Provided that no such fee, as may be fixed by the Committee, shall amount to profiteering or commercialization of education.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

11. The State Government shall appoint an Appellate Authority, headed by a person who has been a Judge of the High Court, before which a person or professional institution aggrieved by an order of the Committee may file an appeal, within a period of 30 days from the date of receipt of such an order.

Appeals

12. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Act to have overriding effect

13. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules

14. (1) The State Government or any authority authorized by the State Government may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder.

Power to make regulations

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters namely:-

(a) the constitution and working and, terms and conditions of the Committee;

(b) the manner or criterion of determination of fee to be charged by a Private Professional Educational Institution from the students;

(c) the fees to be charged by the Private Professional Educational Institution from the students.

15. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

Power to remove difficulties

(2) Every order made under this section shall, as soon as may after it is made, be laid before each House of Legislature.

16. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government or the Appellate Authority, or Chairman and Members of the Committee for anything, which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Protection of action taken in good faith

U. P. Ordinance no. 1 of 2006

17. (1) The Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and fixation of fee) Ordinance, 2006 is hereby repealed.

Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government has been empowered by the Constitution Ninety-third Amendment to make special provisions regarding admission to the educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the State other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizen. Besides, the Ministry of Human Resources, Government of India had suggested that the legislation should also be made for the regulation of admission and fixation of fee in such educational institutions. In the light of the suggestions given by the Ministry of Human Resources Government of India it has been decided to make law to provide for the regulation of admission and fixation of fee in private educational institutions and the matter connected therewith and incidental thereto.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 1 of 2006) was promulgated by the Governor on July 10, 2006.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

R. M. CHAUHAN,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 1113 राजपत्र (हि०)-(1696)-2006-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 129 सा० विधायी-(1697)-2006-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।